# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :– /20/ 571/2020 प्रा०फ्री

श्री जीतू S/o देवा गुर्जर नि० जगदीशा (उमरी) करेड़ा
––प्रार्थी।

बनाम

1–श्री भोजा S/o गंगाराम गुर्जर नि० जगदीश (उमरी)– करेड़ा
––विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: **निर्णय** ::दिनांक: २५/8/२०२०

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा० भू० राज० अधि०1956 के हत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जगदीशा.....पटवार हल्का उमरी..........भू०अ०नि० क्षेत्र गोरखा उनके खाता संख्या 37 ......की आ०नं० 798/0.15, 799/4.02 कुल किता २ रकबा 4.17 बिघा ....................स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य ाराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। ासमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5/6/20............को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण ो अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से ़थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की रा–फैरी होने का अदेंशा नहीं है, तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों ा देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: **आदेश**::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया ाकर ग्राम जगदीशा.........पटवार हल्का उमरी..............भू०अ०नि० क्षेत्र गोरखा.......में उनके खाता ंख्या की आ०नं० 798/0.15, 799/4.02 कुल किता २ रकबा 4.17 बिघा ....................भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की ुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि० गोरखा..........को 600/– रुपये ़मिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। ़मिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये ुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

ालंग्न :–प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा